रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02022021-224885
CG-DL-E-02022021-224885

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 444] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 2, 2021/माघ 13, 1942
No. 444] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 2, 2021/MAGHA 13, 1942

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2021

का.आ. 488(अ).—आधार का उपयोग, सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायतार्थ धनों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और हिताधिकारियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, गृह मंत्रालय (*जिसे इसमें इसके पश्चात मंत्रालय कहा गया है),* भारत सरकार **"ब्रू प्रवासियों के पुनर्वास के लिए त्रिपुरा और मिजोरम सरकार के लिए सहायता अनुदान"** नामक केंद्रीय योजना (जिसे इसमें इसके पश्चात योजना कहा गया है) को प्रशासित कर रहा है जिसके अंतर्गत पात्र ब्रू व्यक्तियों या ब्रू व्यक्तियों के परिवार के पात्र सदस्यों (जिसे इसमें इसके पश्चात हिताधिकारी कहा गया है) को राज्य सरकार के संस्थानों अर्थात् संबंधित कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त (जिसे इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन एजेंसी कहा गया है) के माध्यम से वित्तीय सहायता (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदा कहा गया है) प्रदान की जाती है;

और, उपर्युक्त योजना में भारत के समेकित कोष से होने वाला आवर्ती व्यय सम्मिलित है;

अत: अब, केंद्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायतार्थ धनों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, :-

1. (i) योजना के अधीन प्रसुविधा लेने के इच्छुक प्रत्येक पात्र हिताधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह आधार संख्या रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार अधिप्रमाणन कराए।

(ii) योजना के अधीन प्रसुविधा लेने के इच्छुक प्रत्येक पात्र हिताधिकारी व्यक्ति, जो आधार संख्या नहीं रखता है या जिसने आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं कराया है, उसे आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा जबकि वह व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार, आधार प्राप्त करने के हकदार हो और ऐसे हिताधिकारी आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट www.uidai.gov.in में सूची उपलब्ध है) में जा सकेगा।

(iii) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के अनुसार, मंत्रालय से कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से पात्र हिताधिकारी के लिए, जो अभी आधार हेतु नामांकित नहीं हुए हैं, उनके आधार नामांकन सुविधाओं की व्यवस्था किए जाने की अपेक्षा की जाती है और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं हो तो कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से मंत्रालय भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के विद्यमान रजिस्ट्रार के सहयोग से या स्वत: यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनते हुए सुविधाजनक स्थान पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान कराएगा:

परंतु योजना के अधीन किसी व्यक्ति को आधार सौंप दिए जाने तक ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की शर्त पर प्रसुविधा दी जाएगी, अर्थात:-

(क) यदि वह नामांकित हो गया हो, उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; और

(ख) गृह विभाग, मिजोरम सरकार द्वारा जारी पहचान पर्ची; और

(ग) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात:-

(i) फोटो के साथ बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक; या

(ii) मतदाता पहचान पत्र; या

(iii) स्थाई खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(iv) राशन कार्ड; या

(v) पासपोर्ट; या

(vi) किसान फोटो पासबुक; या

(vii) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जारी जॉब कार्ड; या

(viii) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(ix) किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी तहसीलदार या किसी कार्यालय के अधिकारिक शीर्ष पत्र पर जारी किसी ऐसे व्यक्ति का फोटो सहित पहचान प्रमाण पत्र; या

(x) मंत्रालय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेज को विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा जांचा जा सकेगा।

2. योजना के अधीन हिताधिकारियों को सुविधाजनक रूप से प्रसुविधा प्रदान करने के लिए, मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा कि योजना के अधीन आधार की आवश्यकता के प्रति हिताधिकारियों को जागरूक बनाने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाए।

3. उन सभी मामलों में, जहां आधार अधिप्रमाणन हिताधिकारियों के खराब बायोमैट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से असफल रहता है वहां निम्नलिखित उपचारात्मक प्रक्रम अपनाया जाएगा, अर्थात:-

(क) खराब अंगुली छाप गुणवत्ता के मामले में, अधिप्रमाणन के लिए आयरिस स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अपनाई जाएगी जिससे मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से आयरिस स्कैनर्स या चेहरा अधिप्रमाणन के साथ अंगुलीछाप अधिप्रमाणन के लिए प्रावधान करेगी जिससे निर्बाध रीति से प्रसुविधा प्राप्त हो सके;

(ख) अंगुली छाप के माध्यम से बायोमैट्रिक्स अधिप्रमाणन या आयरिस स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के सफल नहीं होने की दशा में जहां कहीं व्यवहार्य और ग्राह्य हो, वहां यथास्थिति, सीमित समय वैधता वाले आधार वन टाइम पासवर्ड या समय आधारित वन टाइम पासवर्ड द्वारा अधिप्रमाणन प्रदान किया जाएगा;

(ग) अन्य सभी मामलों में, जहां बायोमैट्रिक्स या वन टाइम पासवर्ड या समय आधारित वन टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव नहीं है वहां योजना के अधीन प्रसुविधाएं भौतिक आधारपत्र के आधार पर दी जा सकती हैं, जिनकी अधिप्रामाणिकता आधारपत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था मंत्रालय द्वारा अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर उपलब्ध कराई जाएगी।

4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना के अधीन कोई वास्तविक हिताधिकारी अपनी देय प्रसुविधाओं से वंचित नहीं हो, मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार के तारीख 19 दिसंबर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या डी-26011/04/2017-डीबीटी (https://dbtbharat.gov.in/ पर उपलब्ध) में यथाविनिर्दिष्ट अपवाद कार्यान्वयन एजेंसी शक्ति का पालन करेगा।

5. यह अधिसूचना इसके शासकीय राज पत्र में प्रकाशन की तारीख से मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में प्रवृत्त होगी।

[फा. सं.11011/07/2016-एनई.III (सीएफ सं. 3348822)]

पीयूष गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2021

S.O. 488(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Home Affairs (*hereinafter referred to as the Ministry*) in the Government of India is administering the Central Scheme of **"Grant in Aid to Government of Tripura and Mizoram for rehabilitation of Bru Migrants"** (*hereinafter referred to as the Scheme*) under which financial assistance (*hereinafter referred to as the benefit*) is given to the eligible Bru persons or eligible family members of the Bru persons (*hereinafter referred to as the beneficiary*) through the State Government Institutions, viz. the Collectors and District Magistrates/Deputy Commissioners concerned (*hereinafter referred to as the Implementing Agency*);

And whereas, the Scheme involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (i) An eligible beneficiary desirous of receiving the benefit under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(ii) Any eligible beneficiary desirous of receiving benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall have to apply for Aadhaar enrollment provided he is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such beneficiary shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(iii) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through the Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the eligible beneficiary, who is not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through the Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India or by becoming Unique Identification Authority of India Registrars themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the beneficiary, benefit under the Scheme shall be given to such beneficiary subject to the production of the following documents, namely:-

(a) If he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and

(b) Identification Slip issued by Home Department, Government of Mizoram; and

(c) Copy of any one of the following documents, namely :-

(i) Bank or Post office Passbook with Photo; or

(ii) Voter Identification Card; or

(iii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iv) Ration Card; or

(v) Passport; or

(vi) Kisan Photo Passbook; or

(vii) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme Job Card; or

(viii) Driving license issued by Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(x) any other document as specified by the Ministry:

Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Ministry through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Ministry through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger print authentication for delivery of benefit in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible, authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases, where biometric or One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Ministry through its Implementing Agency.

4. In order to ensure that no *bona fide* beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Ministry through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as specified in the Office Memorandum No. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December 2017 of the Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India (available on https://dbtbharat.gov.in/).

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in the States of Mizoram and Tripura.

[F. No. 11011/07/2016-NE.III (CF No. 3348822)]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2021.02.02 21:42:23 +05'30'